डीडवाना

5/7/21

पत्रावली पेश हुई।
अप्रार्थीगण सं. 4, 9, 11, 12 की तरफ से
वकील श्री हीरासिंह राठौड़ ने वकालतनामा
व पत्रावली आज ही तारीख पेशी पर
लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया।
वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र 07 R 11
CPC का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि वादी सरहदी काश्तकार है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

5/7/21

खसरा नं. 97, 112 व 113 का रकबे में एक अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र / वाद पत्र प्रार्थी / वादी आसीन खां व उसके भाई मुमताज खां द्वारा नीयाद के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र सं 143/2011 में दिनांक 12.07.2011 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया तथा दिनांक 22.03.2012 को उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण हो चुका है। प्रार्थी पक्ष को उन्ही पक्षकारों के मध्य व उन्ही रोको व उसी विषय वस्तु बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी पक्ष ने न्यायालय को गुमराह में रखकर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार करवा लिया जो नियम विरुद्ध होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

वकील पक्षकारों को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष ने न्यायालय को गुमराह में रखकर एक पक्षीय स्थगन आदेश ले लिया जबकि उक्त विवादित खसरा नम्बर से संबंधित एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 22.03.2012 को ही हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र नियम विरुद्ध होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी को दिनांक 22.03.2012 को निस्तारित हुए प्रार्थना पत्र की अपील अथवा रिवीजन की जानी चाहिए थी। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नियम विरुद्ध होने से [illegible] किया जाता है। पत्रावली बाद शुमार होकर [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2021.08.02 16:37:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with CamScanner